

125

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ () प्रमुवसं/उत्पादन/वूडबेस्ड/ 199-211

दिनांक:- 24-10-2017

1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/कोटा/भरतपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर/बीकानेर/जोधपुर/अजमेर/
वन्य जीव, जयपुर/जोधपुर/भरतपुर/कोटा एवं उदयपुर।

विषय: Wood-based industries(Establishment & Regulation) Guideline, 2016 के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

विषय: MoEF & CC, भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन दिनांक 11.11.2016 एवं संशोधन दिनांक 11.9.17.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि संदर्भित गाईडलाईन के प्रावधानों के कियान्वयन के संदर्भ में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.10.2017 (कार्यवाही विवरण संलग्न) में निर्णय लिया गया था कि राज्य में विभिन्न प्रकार के काष्ठ आधारित उद्योगों के उपयोग हेतु उपलब्ध होने वाली इमारती लकड़ी की मात्रा का आंकलन/अध्ययन करवाये जाने के बाद ही पूर्व प्रचलित लाईसेंस शुदा उद्योगों के लाईसेंस नवीनीकरण के बारे में निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि इस अध्ययन में कुछ समय लगने की सम्भावना है, अतः राज्य सरकार की अनुमति से यह निर्णय लिया गया है कि जो काष्ठ आधारित उद्योग पूर्व में लाईसेंस शुदा हैं वे तब तक जारी रहेंगे जब तक कि आलोच्य अध्ययन उपरान्त राज्य स्तरीय समिति द्वारा ऐसे उद्योगों के लाईसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया अन्तिम रूप से निर्धारित नहीं हो जाती है।

अतः कृपया इस निर्णय से अपने समस्त सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुए पालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ०एन.सी.जैन)

सदस्य सचिव एवं

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन),
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 24-10-17.

क्रमांक: एफ () प्रमुवसं/उत्पादन/वूडबेस्ड/ 212-227

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय वन मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, राजस्थान, जयपुर।
5. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर।
6. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास/वन सुरक्षा/एफ.सी.ए./WP&FS/NTFP/M&E/ PF&C/L&L/HQ.
7. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर।

(डॉ०एन.सी.जैन)

सदस्य सचिव एवं

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन),
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 24/10/17